न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंधव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 647/दावा/2017
दायरा 07.02.2017

उनवान

1. पार्वती बाई पुत्री देवा पत्नि लटूरलाल जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा हाल मुकाम अस्पताल के पास मनोहरथाना जिला झालावाड राज0।
2. जगन्नाथी बाई पुत्री देवा पत्नि घांसीलाल जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा हाल मुकाम बराना तहसील खानपुर जिला झालावाड

– वादीगण

बनाम

1. गुलाब बाई बेवा भंवरलाल जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
2. सतराम पुत्र कंवरलाल जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
3. रामदयाल पुत्र कंवरलाल जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
4. रामपाल पुत्र गुलाबचन्द जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
5. छीतरलाल पुत्र गुलाबचन्द जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
6. भरोसी बाई पुत्री गुलाबचन्द जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
7. मोहनलाल पुत्र अमरा जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
8. राधाकिशन पुत्र अमरा जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
9. दोली बाई पुत्री अमरा जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
10. धन्नी बाई पुत्री अमरा जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
11. औंकार लाल पुत्र रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
12. रामलाल पुत्र रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
13. धन्नालाल पुत्र रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
14. बद्री बाई पुत्री रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
15. मांगी बाई पुत्री रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर।
17. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना अकावद सिंचाई विभाग खण्डिया रोड झालावाड।

– प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,209 आर.टी.एक्ट 1955</u>

उपस्थितः– श्री चन्द्रसिंह राजावत एडवोकेट – वादी

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 08/01/2020

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादीगण ने जर्ये अधिवक्ता एक वाद धारा 88,89,91,209 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हतोली की जमाबंदी सं0 2064–67 की खतोनी सं0 48 की ख0न0 287 की रकबा 15.10 बीघा ख.न. 288 रकबा 1.12 बीघा कुल 2 किता की 17.02 बीघा आराजी स्थित है। वर्णित आराजी में वादीगण के पिता देवा की पुश्तैनी आराजी है। जो वादीगण के पिता देवा का 1/5 हिस्सा आराजी में खाते दर्ज है। पारिवारीक सजरा वादपत्र के पैरा नम्बर 03 में अंकित है। वर्णित आराजी पुश्तैनी बाप दादी की जायदाद है आराजी के वादीगण के पिता देवा के खाते की है। वादीगण अपने पिता देवा के खाते की आराजी में अपने हिस्से की आराजी को खाते दर्ज कराने के अधिकारी है।

ग्राम खेरखेडा तहसील खानपुर के माल की कुल 4 किता की रकबा 25.02 बीघा आराजी में नेनगी बेवा देवा दर्ज है। वादीगण की मॉ नेनगी है जो नेनगी की मृत्यु के बाद इंतकाल संख्या 32 में वादीगण के नाम इंतकाल तस्दीक किया गया है। वादपत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी जिसे वादीगण की 1/5 हिस्से की आराजी पर किसी नाजायाज कब्जा करने का किसी को अधिकार नही है। वादीगण 1/5 हिस्से आराजी पर किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया तो वादीगण को नुकसान होगा। वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 28.12.2016 को नाम खाते में दर्ज करवाने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा टालमटोल करने से वाद का कारण उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की डिक्री फरमायी जावे कि ग्राम हतोली की जमाबंदी सं0 2064–67 की खतोनी सं0 48 की ख0न0 287 की रकबा 15.10 बीघा ख.न. 288 रकबा 1.12 बीघा कुल 2 किता की 17.02 बीघा आराजी में वादीगण का 1/5 हिस्सा खाते दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह ग्राम हतोली की जमाबंदी सं0 2064–67 की खतोनी सं0 48 की ख0न0 287 की रकबा 15.10 बीघा ख.न. 288 रकबा 1.12 बीघा कुल 2 किता की 17.02 बीघा आराजी पर ना तो कही रहन बैय हिब्बा आदि करें और ना ही मुआवजा प्राप्त करें। ऐसा ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से ऐसा करवायें और जो माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमायी जावें।

इस आशय का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया वाद तामील उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य में वादी PW1 पार्वती बाई PW2 जगन्नाथी बाई एवं गवाह PW3 रामचरण के बयान लेखबद्ध कराये गये दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्श कराये गये।

प्रदर्श 1 – नकल जमाबंदी सम्वत् 2064 से 67 खाता संख्या नया 48 ग्राम हतोली तह0 खानपुर

प्रदर्श 2 – नकल भू–प्रबन्ध अधिकारी जमाबंदी सम्वत् 2028 से 47 ग्राम खेरखेडा तह0 खानपुर

प्रदर्श 3 – नकल जमाबंदी सम्वत् 2010 से 13 ग्राम हतोली तह0 खानपुर

प्रदर्श 4 – नकल इंतकाल संख्या 32 ग्राम खेरखेडा तह0 खानपुर

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

प्रदर्श 5 – नकल इंतकाल संख्या 260 ग्राम हतोली तह0 खानपुर
प्रदर्श 6 – नकल सेटलमेंट खसरा बन्दोबस्त सम्वत् 2021 ग्राम हतोली तह0 खानपुर
प्रदर्श 7 – मृत्यु प्रमाण पत्र (फोटाप्रति) नेनकीबाई
प्रदर्श 8 – मृत्यु प्रमाण पत्र (फोटाप्रति) देवा

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जो वादपत्र में दर्ज है। अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श 02 की तरफ न्यायालय का ध्यान दिलाकर कहा कि रिकार्ड में नेनगी बैवा देवा गूर्जर दर्ज हो रहा है। इसी प्रकार प्रदर्श 03 जमाबंदी संवत् 2010–13 में भी नेनगी बैवा देवा गूर्जर का नाम दर्ज हो रहा है, संवत 2035–38 जो कि प्रदर्श 04 है में भी नेनगी बैवा देवा गूर्जर का नाम आ रहा है, प्रदर्श 05 नकल इन्तकाल ग्राम हतोली में नेनगी के पति देवा का नाम दर्ज हो रहा है। इस प्रकार मूल खातेदार काल्या के 5 पूत्र थे एक पूत्र का नाम देवा था वादीगण पार्वतीबाई व जगन्नाथी बाई, देवा व नेनगी की जायन्दा पुत्रीया है। देवा 1/5 सह खातेदार था इसलिए उसके स्थान पर वादीगण को 1/5 हिस्से का सह खातेदार बनाया जाने न्यायोचित प्रतीत होता है वादपत्र, गवाहान वादीगण व दस्तावेज तथा वकील वादी की बहस से न्यायालय सहमत है और वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार बनाये जाने का आदेश प्रदान करता है।

अतः वाद, वादीगण स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम हतोली तह0 खानपुर जिला झालावाड की जमाबंदी सं0 2064–67 की खतोनी सं0 48 पुराना 52 की ख0न0 287 की रकबा 15.10 बीघा ख.न. 288 रकबा 1.12 बीघा कुल 2 किता की 17.02 बीघा आराजी में दर्ज पूर्व सहखातेदारान गुलाबचंद, भंवरया, अमरा पिता देवा हि0 1/5 का इन्द्राज खाते से हटाते हुए वादीगण को 1/5 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 08/01/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

फाइनल डिक्री मुकद्दमात
(ओ. नं. 6 व 7 जाप्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड, (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 647 / दावा / 2017
दायरा 07.02.2017

उनवान

1. पार्वती बाई पुत्री देवा पत्नि लटूरलाल जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा हाल मुकाम अस्पताल के पास मनोहरथाना जिला झालावाड राज0।
2. जगन्नाथी बाई पुत्री देवा पत्नि घांसीलाल जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा हाल मुकाम बराना तहसील खानपुर जिला झालावाड

– वादीगण

बनाम

1. गुलाब बाई बेवा भंवरलाल जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
2. सतराम पुत्र कंवरलाल जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
3. रामदयाल पुत्र कंवरलाल जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
4. रामपाल पुत्र गुलाबचन्द जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
5. छीतरलाल पुत्र गुलाबचन्द जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
6. भरोसी बाई पुत्री गुलाबचन्द जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
7. मोहनलाल पुत्र अमरा जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
8. राधाकिशन पुत्र अमरा जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
9. दोली बाई पुत्री अमरा जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
10. धन्नी बाई पुत्री अमरा जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
11. औंकार लाल पुत्र रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
12. रामलाल पुत्र रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
13. धन्नालाल पुत्र रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
14. बद्री बाई पुत्री रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
15. मांगी बाई पुत्री रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी खेरखेडा तहसील खानपुर।
16. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर।
17. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना अकावद सिंचाई विभाग खण्डिया रोड झालावाड।

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,209 आर.टी.एक्ट 1955

आज यह मुकद्दमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **प्रमोदकुमार सिंघव** आर.ए.एस. व हाजरी वादीगण मिन जानिब मुद्दई **श्री चन्द्रसिंह राजावत** एडवोकेट वादी रूबरू एक पक्षीय एडवोकेट प्रतिवादी जानिब मुद्दालय पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :–

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

" : वाद, वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम हतोली तह0 खानपुर जिला झालावाड की जमाबंदी सं0 2064–67 की खतोनी सं0 48 पुराना 52 की ख0न0 287 की रकबा 15.10 बीघा ख.न. 288 रकबा 1.12 बीघा कुल 2 किता की 17.02 बीघा आराजी में दर्ज पूर्व सहखातेदारान गुलाबचंद, भंवरया, अमरा पिता देवा हि0 1/5 का इन्द्राज खाते से हटाते हुए वादीगण को 1/5 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 08/01/2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2020.02.10 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: